


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

230/2024

द्विम्भत सिद्द बनाम सेगीत

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी को सांयकाल 6 बजे तक बार बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आयें न ही वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आयें। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	